मूल हिंदी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1554
13 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

वाशिम-यवतमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पीएमएवाई-यू के तहत लाभार्थी

1554. श्री संजय उत्तमराव देशमुखः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों के दौरान वाशिम-यवतमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत कितने लाभार्थियों को आवास आवंटित किए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पीएमएवाई-यू के अंतर्गत उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ग उक्त अवधि के दौरान पीएमएवाई-यू के अंतर्गत लाभार्थियों को कितने आवास आवंटित किए गए; और

(घ) उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शेष पात्र लाभार्थियों की संख्या कितनी है, जिन्हें अभी तक पीएमएवाई-यू के अंतर्गत आवास के लिए धनराशि प्राप्त नहीं हुई है तथा इसमें देरी के क्या कारण है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ) 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है, ताकि वाशिम-यवतमाल संसदीय क्षेत्र सहित देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ पक्के आवास उपलब्ध कराए जा सकें।

पीएमएवाई-यू एक मांग आधारित योजना है और भारत सरकार ने आवास के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है।

इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार वास्तविक और वित्तीय प्रगति तथा अनुपालन के आधार पर स्वीकृत आवासों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती है। महाराष्ट्र राज्य के वाशिम-यवतमाल संसदीय क्षेत्र में पीएमएवाई-यू के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय प्रगति का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

इसके अलावा, पीएमएवाई-यू को कार्यान्वित करने के 9 वर्षों के अनुभव और सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और 01.09.2024 से देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन का शुभारंभ किया है ताकि चार घटकों यानी लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों द्वारा किफायती लागत पर आवास का निर्माण, खरीद और किराये पर लिया जा सके। आज तक, महाराष्ट्र सहित 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार पीएमएवाई-यू 2.0 को कार्यान्वित करने के लिए सहमति ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं। पीएमएवाई-यू 2.0 के संचालन दिशानिर्देश 17.09.2024 को शुरू किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए एकीकृत वेब पोर्टल और संचलनात्मक दिशा-निर्देश **http://pmay-urban.gov.in** पर देखें जाा सकते हैं।

*****

दिनांक 13.02.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1554 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल-वाशिम संसदीय क्षेत्र में वास्तविक और वित्तीय प्रगति।

क्र. सं.	विवरण	योजना की शुरूआत से	पिछले पांच वर्षों के दौरान (वित्त वर्ष 2019-24)
1	स्वीकृत आवास (संख्या)	15,132	10,466
2	निर्माणाधीन आवास (संख्या)	11,649	9,154
3	निर्माण कार्य पूरा कर चुके आवास (संख्या)	8,160	6,596
4	स्वीकृत केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)	258.64	183.85
5	जारी की गई केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)	191.71	175.18

******